

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री. गहनद्र सोनी

प्रा.प्र.प.एम

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. उकाजी पुत्र पेलाजी पुरोहित		1. श्रीमति मधु बेवा सांवलाराम
2. प्रताप पुत्र कपूराजी पुरोहित		2. भावेश कुमार सांवलारा ।
3. डूंगाराम पुत्र सूरताराम जाति रेबारी		3. विजयकुमार पुत्र सांवलाराम ना.वा.विक्रम जरिये कुदरती वलीया माता मधु बेवा सांवलाराम जाति मेघवाल निवासीगण
4. चुन्नीलाल पुत्र दीपाजी जाति सुथार		पावटी तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
5. जबराराम पुत्र चमनाजी जाति पुरोहित निवासीगण पावटी ग्राम पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर		4. ग्राम पंचायत डोरडा ज.रे.स.स.प.व ग्राम पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या

07/2018

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत
ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 3 व पट्टा
दिनांक 15.09.1999 निरस्त (खारिज) करने बाबत

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण
- 2-श्री निखिल दवे अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
- 3-रिसेपोडेन्ट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:-01.01.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत डोरडा के प्रस्ताव संख्या 3
दिनांक 10.06.1999 ग्राम पंचायत डोरडा के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त निगरानी
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच के दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जग्गिये,
नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की
ओर से दस्जावेज प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय
पक्ष की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.1999 को सांवलाराम पुत्र
दलाजी जाति मेघवाल निवासी पावटी ने ग्राम पंचायत डोरडा में ग्राम पावटी में
स्थित भूमि को रियायती दर पर देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत द्वारा
बिना कोई मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना कोई मौका देखे बिना का उक्त प्लेटराव
आमंत्रित किये बिना पटवारी हल्का की भूमि की क्रिम्म के बारे में नोट रिपोर्ट लिये
उसी दिन रियायती दर सांवलाराम के हक में अपना मनमर्जी से भूमि को दर कायम
कर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत कर दिया तथा उक्त प्रस्ताव के
आधार पर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी कर दिया जो प्रस्ताव व पट्टा बिना
किसी प्रक्रिया के तथा नियमों का पालन नहीं कर अवैध रूप से जारी किया है
जिससे प्रस्ताव व पट्टा का बिज खारिज है। सांवलाराम पुत्र दलाजी की मृत्यु हो चुकी
है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सांवलाराम के जायज वारिथान है। उक्त पट्टे का हमको
ज्ञान नहीं हो सका क्योंकि हमारी गैर हाजरी में जारी हुआ था। हम प्रार्थीगण संख्या 1
से 4 के विरुद्ध सांवलाराम की पत्नी मधु व भेराराम व चतगराम व मधुवीर ने
सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में अभी दावा पेश किया तथा उक्त
प्रस्ताव गलत ढंग से स्वीकृत करने व पट्टा जारी करने का ज्ञान हुआ पट्टा निरस्त
करने हेतु निम्न आधारों पर रिविजन पेश है। सांवलाराम द्वारा दिनांक 10.06.1999 को

ही रियायती दर पर भूमि आवंटन करने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत डोरडा में पेश किया था। ग्राम पंचायत डोरडा ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई जांच नही करवाई, न ही कोई रिपोर्ट मंगाई कि सांवलाराम के कोई रहवासीय प्लॉट पावटी में या नही तथा न ही कोई वार्डपंचो की कमेटी गठित कर मौका जांच ही मंगाई बिना मौका रिपोर्ट मंगाये बिना पटवारी हल्का से भूमि की किस्म के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगाये बिना कोई पत्रावली कायम कर बिना कोई आपत्ति डीशतहार लगावाये असा नियमों की पालना नही कर पट्टा जारी करने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 का स्वीकृत कर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया है जो पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी व नियम विरुद्ध होने से काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत के दिनांक 10.06.1999 के प्रस्ताव संख्या 3 में किस नाप तोला का पट्टा देने का प्रस्ताव पेश किया गया है, कई कोई उल्लेख ही नही है जिससे प्रस्ताव काबिल खारिज है व उसके आधार पर जारी किया गया पट्टा काबिल खारिज है। सांवलाराम की पत्नी अप्रार्थी एक मधु द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में हमारे विरुद्ध दावा पेश किया गया है उस दावे में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भी मंगाई गई है। जिस मौका रिपोर्ट में भी मौके पर मधु का कोई कब्जा होना नही पाया गया है। पट्टा किस रासगा नंबर में जारी किया है उसका भी कोई उल्लेख पंचायत के प्रस्ताव व पट्टे में नही है जिससे पट्टा काबिल खारिज है। पट्टा में निःशुल्क शब्द को काटकर अतिरिक्त ईवायत रियायती दर पर जोड़ा गया है तथा विक्रय विलेख के पद संख्या 2 व 3 में कांट छोट की गई है जिस पर भी पट्टा जारी के प्राधिकारी के हस्ताक्षर नही है। पट्टे पडौस बाबत लिखी गई दिशाओ में तथा पडौस के नामों में कांट छोट की गई है। जिस पर भी किसी के हस्ताक्षर नही है। जिससे पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा सांवलाराम के हक में जो विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया है उस पर स्वयं आवंटी सांवलाराम के हस्ताक्षर ही नही है। कानूनन सम्पन्न अन्तरण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत विक्रय विलेख निष्पादन के लिये दोनों पक्षकार विक्रेता व क्रेता के हस्ताक्षर आवश्यक है। जब तक विक्रेता द्वारा निष्पादित पट्टा दस्तावेज को क्रेता स्वीकार नही करता तब तक ऐसा पट्टा दस्तावेज शून्य है व कानूनन उसका कोई महत्व व मूल्य नही है जिससे उक्त विक्रय अधिष्ण होने से पट्टा काबिल खारिज है। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी विक्रय विलेख (पट्टा) पर ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही है जो कानूनन आवश्यक है। इतना ही नही पट्टे पर न तो पट्टा संख्या अंकित है न ही कोई किसल संख्या ही अंकित है जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन हेतु न तो ग्राम पंचायत द्वारा को मिनत कायम की गई और न ही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की कोई धारणा दी की गई यहा तक कि भूखण्ड आवंटन के प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी का ग्राम पावटी में कही कोई अन्य मकान या प्लॉट नही होने बाबत शपथ पत्र ही लिखा गया। उसका रहवासीय मकान होते हुये भी उसे गलत ढंग से प्लॉट आवंटन किया गया। आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही करने से दिनांक 10.06.1999 का प्रस्ताव संख्या 3 बिल्कुल ही गैर कानूनी व अवैध होने से काबिल है तथा उसके आधार पर दिनांक 15.09.1999 को विक्रय विलेख पट्टा जारी किया गया व भी काबिल खारिज है। सांवलाराम के पक्ष में जारी किये गये विक्रय विलेख पट्टा के पद संख्या 3 में यह स्पष्टतया शर्त है कि इस भूमि पर आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झौपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया है जिस पर 18 वर्ष का लम्बा समय बितने व आकर न तो सांवलाराम या उनके वारिशांन अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने कोई कब्जा ही किया है और न ही कोई निर्माण ही किया गया है। पट्टे में बताई गई भूमि मौके न बिल्कुल ही खाली पडी है जिसमें गायो के पानी पीने की पोकली चारा रखने का टैन्कर डे बगा हुआ है तथा गायो के लिये चारा पडा है तथा भूमि गायो के आखरी वरुष में

कदीम से काम आ रही है। जो खसरा नंबर 385 राजस्थान सरकार की गैर मुमकिन भूमि है जो जमाबंदी में दर्ज है। सांवलाराम की पत्नी मधु वगैरा ने सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में उक्त पट्टे को आधार बताकर हम प्रार्थीगण के विरुद्ध जो दावा पेश किया है उन पडौसियों की भूमि प पट्टे में स्थित पडौस भूमि एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, दावे में बताये गई पडौसीयों की भूमि तो खसरा नंबर 385 रकबा 3.12 हैक्टर की भूमि है जो भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज भूमि पंगडडीया तथा रास्ते की भूमि है जो गैर मुमकिन भूमि है जो गैर मुमकिन भूमि है इस भूमि पर गायों की आखरी है उक्त राज्य सरकार की भूमि पर ग्राम पंचायत का कोई कानूनी हक नहीं है जहां पट्टा जारी करना बताया है वह भूमि खसरा नंबर 385 की भूमि है जो कभी भी ग्राम पंचायत डोरडा के खाते में न तो दर्ज रही न ही आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 4 को गजरशाला सरकार के खाते में दर्ज राजकीय भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटित विषय करने का कतई अधिकार प्राप्त नहीं है, बिना अधिकार क्षेत्र के स्वीकृत किया गया प्रस्ताव व पट्टा काबिज निरस्त है। सांवलाराम को आवंटन के बाद भौतिक रूप से कब कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द किया गया उसकी कोई फर्द कब्जा सुपुर्द नहीं है। पट्टे में कोई कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख ही है। माँके पर भूमि बिल्कुल खाली पड़ी है कानूनन आवंटन के दो साल में निर्माण किया जाना आवश्यक था जो नहीं किये जाने से पट्टा काबिज निरस्त है। मधु द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में पेश किये दीवानी विविध मुकदमा नंबर 37/2018 में न्यायालय द्वारा माँके कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त स्थल का माँका निरीक्षण दिनांक 03.08.2018 को किया गया है। जिसम माँका रिपोर्ट की नकल साथ में पेश है। जिसमें विक्रय विलेख में बता ज रहीं भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सांवलाराम के वारिसान का कोई कब्जा नहीं है वहां माँके पर श्री महादेव गोवर्धन गौ धाम पावटी का लोहे का बोर्ड लगा हुआ है तथा अन्दर एक छप्पर बना हुआ है तथा लोहे की ऐगल लगाकर लोहे की चद्द लगाकर छप्पर बनाया हुआ है तथा गायों के पानी पीने के लिये पानी का होद बन हुआ है जिस होद पर जय गाय माता की आखरी लिखा हुआ है तथा माँके भर चार पण्डा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कोई कब्जा पट्टे में बताई भूमि पर नहीं होने से काबिज खारिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का अथवा सांवलाराम का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा इस कारण हमें उक्त पट्टे के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी अनुसूचित जाति वा फायदा उठाकर सरकारी जमीन नंबर 385 पर गलत ढंग से कब्जा करने की नियत में सिविल न्यायालय में दावा किया तथा उक्त दावे में दिनांक 03.08.2018 को माँका देखने हेतु माँका कमिश्नर माँके पर आये तब कार्यवाही का पता लगा उसके बाद भनवत न्यायालय में जाकर वकील कर पता लगाया तो फर्जी पट्टे बनाने का पता लगा जब ग्राम पंचायत से गौशाला के कार्यकर्ता जबराराम ने दिनांक 05.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जो अधुरी नकले दिनांक 15.10.2018 को मिला व उसके बाद दिनांक 25.10.2018 को नकल प्राप्त हुई नकले मिलने पर सांवलाराम द्वारा फर्जी रूप से विक्रय विलेख पट्टा अप्रार्थी संख्या 4 से मिलावट कर प्राप्त किया जाने का ज्ञान हुआ जिस पर तमाम कागजात व नकल लेकर सिविल न्यायालय प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है जो प्रस्ताव स्वीकृत करने व पट्टा जारी करने का पूर्णतया ज्ञान होने की तारीख से अन्दर म्याद पेश है। विक्रय विलेख पट्टा आवंटन करने के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.99 हमारी गैर हाजरी में स्वीकृत हुआ व पट्टा दिनांक 15.09.99 भी हमारी गैर हाजरी में जारी हुआ है जिसका हमें कतई ज्ञान नहीं था वैसे भी उक्त प्रस्ताव व पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार की भूमि खसरा नंबर 385 में जारी होना साबित हो रहा है। जो एबडनीसियों चोड़ है जिसे निरस्त करने हेतु म्याद कोई बाधा नहीं है। प्रार्थीगण ग्राम पावटी के मूल निवासी है तथा ग्राम मारट के व

श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पावटी के प्रतिनिधि है इस कारण आम पत्र के हित में प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त रिवाज प्रार्थना पत्र जनहित में पेश किया जा रहा है हम व्यथित पक्षकार हैं जिससे हमें प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः रिवाज प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा सांवलाराम पुत्र दलाजी मेघवाल के हक में स्वीकृत किया गया दिनांक 10.06.1999 का प्रस्ताव संख्या 3 निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर सांवलाराम के पक्ष में जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को विस्तृत रूप से दौराहते हुये कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.99 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत डारड में पेश किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई रिपोर्ट, जांच करवाये बिना ही दिनांक 10.06.99 को उसी दिन पट्टा जारी करने का आदेश कर दिया गया जो शर्त संख्या 3 दिनांक 10.06.99 से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल कोर्ट भीनमाल में प्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा प्रस्तुत किया गया कि हमें पट्टे मिले हुये हैं जम पर कब्जा नहीं था पट्टा शुदा भूखण्ड पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को अप्रार्थीगण द्वारा बाधित किया जा रहा है, अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे। इस दावे में भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी वर्ष 1999 से लगाकर आज तक आवंटनी का विवादात्त भूखण्ड पर कब्जा अथवा निर्माण नहीं रहा है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त भौतिकी कर्मिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को विवादित भूखण्ड बाबत मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार मौके पर भूखण्ड आवंटनी का कोई कब्जा नहीं है। भूखण्ड के चारो तरफ कांटो की बाड बनी हुई है। बीच में लोहे का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पावटी लिखा हुआ है। पास में लोहे की पेल्लो पर चददरो से बना हुआ छपरा है। उसी के पास मौके पर गायो के पानी पीने का होज यानि अवाडा बना हुआ है। भूमि मौके पर खाली व खुली पट्टी के पूर्ण रूप उपयोग गायो की आखरीया के काम आने से मौके पर मवेशिया खड़ी रहती है। गायो को चारा पानी दिया जाता है। विवादित भूमि ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 किम्म गैर मुमकिन सरकारी भूमि है जो पगडंडिया तथा रास्ते (चारागाह के लिये नहीं) राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसके आधार पर यह भी स्पष्ट है कि विवादात्त भूखण्ड की भूमि गैर मुमकिन आबादी नहीं है। अप्रार्थी के नाम जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) की शर्त संख्या 8 के अनुसार आवंटनी को दो वर्ष के अंदर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होता है जबकि आवंटनी द्वारा वर्ष 1999 से लगाकर आज तक इस भूखण्ड पर किसी प्रकार मकान अथवा झोपडा इत्यादि नहीं बनाया गया है। जिसके आधार पर भी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे पर आवंटनी एवं नाम लेखक के हस्ताक्षरो का अभाव है जो आवश्यक होते है। आवंटनी का पट्टा किस प्रकार के भूमि पर जारी किया गया, इसका उल्लेख ग्राम पंचायत के वेठक कार्यवही में रजिस्टर अथवा पट्टे पर नहीं है। तथा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की किस आधार है या नहीं इस बाबत भी पट्टवारी हल्का से रिपोर्ट नहीं ली गई है। आवंटनी भूमिहीन है अथवा नहीं ऐसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं ली गई है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है सरकारी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया जो विधिभंगत नहीं है। पत्रैश्रातिक आदेश बाबत कोई लिमिटेशन लागू नहीं होती है। फिर भी प्रार्थीगण को पट्टे में संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही यह रिवाज प्रार्थना पत्र समय सीमा में प्रस्तुत किया गया

है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थी राखण 1 के पक्ष में दिनांक 10.06.1999 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त फरमाये तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया विवाद विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किया गया जिस पर पंचायत द्वारा मौका जांच करने के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में कार्यवाही कर पट्टा जारी नहीं करती। तीन माह की अवधि बाद पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण को वर्ष 2009 में होने पर उपखंड अधिकारी भीनमाल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अप्रार्थी वाड बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिन्हें हटाने पर मुसूचना जाति/जनजाति के मुकदमें में फसाने की धमकियां दे रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को विवादित भूमि के संबंध में 2009 से जानकारी होने के बावजूद भी यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया है। जो म्याद बाहर है। तत्पश्चात् वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2009 पावटी के गोलुआ गांव से संबंधित होना कथन किया गया। दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव में चार व्यक्तियों को ही पट्टे नहीं दिये बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किये गये हैं। इसके आधार पर दिनांक 10.06.1999 को पारित किया गया प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य रहा है। पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और पट्टे पर आवंटि के हस्ताक्षर नहीं होना किसी प्रकार की अनियमिता भी नहीं है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में कमिश्नर द्वारा सभी चीजे नई प्रोसेस होती है लिखा गया है। इससे यह साबित हो रहा है कि विवादित भूखण्ड पर पूर्व आवंटि का कब्जा रहा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसूप प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा जारी किया गया है तथा आवंटि का मौका पर कब्जा भी रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से शर्जिज फरमावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.1999 को राजस्थान दर पर भूखण्ड आवंटन-आवेदन पत्र राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोरडा में प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 10.06.1999 को बैटक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 3 में दर्ज कर यह ईबारत लिखा गया है कि उपरोक्त प्रार्थीगण को प्लॉट रियायती दर पर देने हेतु पूर्व में मौका मुआयना कर दिया गया था जिसके आधार पर पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 158 का तर्क देने का निर्णय लिया गया, जिसमें ग्राम डोरडा व पावटी की आवंटि सन् 1999 को राज संख्या के आधार पर 1000 से ज्यादा व 2000 से कम होने पर प्रति वर्गज 1/4 रूपये के हिसाब से 750/- पंचायत कोष में जमा होने के पश्चात् प्रार्थीगण को पट्टे जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव दिनांक 10.06.1999 के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को अप्रार्थी के पक्ष पट्टा जारी होने का कथन अप्रार्थी की ओर से किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.06.1999 को ही आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्व में मौका मुआयना करने का उल्लेख करते हुये पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका मुआयना किससे द्वारा करवाया गया इसका विवरण प्रस्ताव संख्या 3 में नहीं है तथा न ही पूर्व में मौका मुआयना करने से संबंधित मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्राप्त हुये रेकॉर्ड में उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र में विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 में होगा बताया गया है। उक्त राजस्थान अभिलेख जमाबंदी अनुसार किस्म गैर मुमकिन पगडंडियां तथा रास्ते (चरगाड के लिये नहीं) राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका

कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूखण्ड पर पट्टा धारक का कब्जा नहीं होकर गायो की आखरीया के उपयोग में लिया जा रहा है। जहाँ श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पावटी लिखा हुआ लोहे का बोर्ड लगा हुआ है। लोहे की चददरो का छपरा बना हुआ है तथा पानी का एक होज बना हुआ है। इसी भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं के नाम पट्टा जारी होना तथा कब्जा होने का कथन किया है लेकिन अपने कथनों में उक्त भूखण्डों को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। जबकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूखण्ड की आबादी भूमि नहीं मानते हुये सरकारी भूमि होना प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। सरकारी भूमि का आबादी विस्तार हेतु जब तक ग्राम पंचायत को आवंटन नहीं हो जाता है तब तक सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख (पट्टा) जारी करने की शक्तिया प्राप्त नहीं है। साथ ही अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार 2 वर्ष में मकान या झोपडा बनाना अनिवार्य होने के बावजूद भी आबादी अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण सन् 1999 से आज तक नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में विवादित भूखण्ड की आराजी को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का पूर्व में कब्जा होना साबित हो रहा है।

उपरोक्तानुसार अप्रार्थी के नाम ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी करने से पूर्व विवादित भूखण्ड की आराजी आबादी किसम की है अथवा नहीं इस बाबत संबंधित पटवारी/तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विवेचन भूखण्ड से संबंधित मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा धारक अप्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थीगण विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसम नम्बर 385 संख्या भूमि में होना कथन कर रहे हैं इसके खण्डन में अप्रार्थी के पक्ष की ओर विवादित भूखण्ड को गैर मुमकिन आबादी भूमि में होना तथा उस पर पट्टा जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर मकान अथवा झोपडा बनाया जाना साबित करने में असफल रहे हैं। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित पटवारी हल्का/तहसीलदार से भूमि की किसम बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर विक्रय विलेख (पट्टा) जारी करने के लिये ग्राम पंचायत डोरडा स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पति/पिता साबला के नाम पट्टा जारी करने के प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त करते हुये विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.09.1999 को निरस्त किया जाता है। पगवली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

59-

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर

नाशर

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5d

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर

नाशर